कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 268 /FP/UK/ROAD/38416/2019 :देहरादूनः दिनांकः 29 जुलाई, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुणजेठी से ब्यूंखी मोटर मार्ग (लम्बाई 7.500 कि0मी0) के निर्माण हेतु 2.7225 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), देहरादून का पत्र सं0–08बी/यू0सी0पी0/06/197/2019/एफ0सी0/558, दिनांकः–06.07.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग की पत्र संख्या–111/12–1(2) दिनांक 14.07.2021 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित हैः–

क्र. सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जाएगी।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :	(क) उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर के अनुसार आवश्यक धनराशि रू0 18,35,967.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1)
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 5.445 हे0 अवनत वन भूमि चौरासी क0 सं0 04 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वीदशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रतातियों की एकल प्लाटेशन से बचे।	
	(ख) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त क्षेत्र पर पूर्व मे किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–2)
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और रक्षण की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या–202/ 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक– 5–3/2007–एफ0सी0 (pt.2) दिनांक 18.09.2003 5–2/2006–एफ0 सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा– निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.18 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05(क) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 23,00,513.00 ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1 के अनुसार)

	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 (ख) के अनुपालन में एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है बढ़ी हुयी एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–3)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 356 trees and including 78 saplings से अधिक नही होगी एंव पेड राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षो के कटान की धनराशि वन निगम को प्रेषित आंगणन के अनुसार दी जा चुकी है।
7	State govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage II approval as per guidelines para 11.2 the state govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
8	State govt. may submit CA scheme with detailed breakup of money and ensure plantation of indigenous species only in the cA area, along with the list of species and their respective number of plants to be planted.	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
9	State govt. may provide the revenue code of beneficiary villages of this office.	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
10	परियोजना के तहत प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानतरित/जमा किया जाएगा।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धनराशि केवल ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) द्वारा चालान तैयार कर रू0 41,36,480.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष, नई दिल्ली के खाते में जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–1 के अनुसार)
11	एफ0आरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु धनराशि जमा कर दी गयी है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगां।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
13	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सडक के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएगे।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
14	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण सारक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगर।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
16	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
17	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
18	प्रयोक्ता अभिकरण द्वार मजदूरों को राजीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।

	जाएगा।	
19	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी की निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
20	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहल के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
21	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अवथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
22	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
23	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थितति में किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्तिको हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
24	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लंघन होगा एवं प्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
25	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एंव वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
26	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
27	यदि कोई सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयी/आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
28	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

भवदीय,

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या–268 / FP/UK/ROAD/38416/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।
2. अधिशारी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग।

(डॉ0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।